Greater Noida Industrial Development Authority

169,Chitvan Estate Sector-Gamma, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, 201306

PLG/(BP).BP-3410/FB-3574
Dated...24/06/2015
To,

M/s Maple Realcon Pvt.Ltd.
304, Sitaram Mension, 718/21
Joshi Road, Krol Bagh
New Delhi-110005

CONDITIONAL with respect point no 17 vis-à-vis notification 60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time and notification dated 14-09.2006 issued by Ministry of Environment & Forest and point no. 18 vis-à-vis guidelines dt.15.11.2012 of C.G.W.A.

Sir,

With reference to your application no-**29393**, dated-**2.05.2015** for grant of **Sanction** of on Plot no-**GH-01/SC-01 (Sport city)**, Sector-**Adjoining sector Techzone-IV,** I have to inform you that the sanction is being granted by the Authority with the following conditions:

1. This sanction is being granted under the provision of 'The Greater Noida Industrial Development Area Building Regulation 2010.
2. The validity of this sanction is **up to-5 Years**
3. In case allotment is cancelled/lease in determine for whatsoever reason by functional department, aforesaid sanction shall automatically be deemed to have been withdrawn.
4. During this period, after the completion of construction it is necessary to apply for occupancy certificate. **Time extension charge shall be payable as applicable.**
5. If demanded by the Authority. You shall be liable to pay charges for the provision of any further facilities/development/improvement.
6. A copy of the sanction drawing shall always be kept at site and shall be made available to any officer of the Authority on demand.
7. No addition/alteration is permitted in the sanctioned drawings. For any changes prior permission form the Authority required.
8. You shall be responsible for carrying out the work in accordance with the requirements of Greater Noida Industrial Development Building Regulation 2010. And directions made form time to time.
9. Prior permission is required before digging an under ground bore well.
10. No activity other than as specified in lease deed shall be permitted in the premises
11. Prior permission is permission from the Authority is required for temporary structure also like labour huts & site office
12. Gate shall open on to the service road only. Direct access to the main carriageway shall not be provided.
13. Services, rain water harvesting shall be laid as per approval of Authority.
14. No parking of any kind shall be permitted on r/w of road.
15. Pejometer shall have to be installed as per direction issued by Authority.
16. Complying with all the requirement for obtaining NOC from various departments prior to submission of application for occupancy shall be the responsibility of allottee irrespective of the proposal sanctioned by GNIDA.
17. **Before starting construction, the NOC is required from Ministry of Environment & Forest under notification no-60(A) dated 27-1-1994 and its amendment from time to time or under notification dated 14-09-2006 which ever is applicable. The copy of shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
18. **Before starting construction, the NOC is required from Central Ground Water Authority under notification dated 15.11.2012. The copy of N.O.C. from C.G.W.A. shall be submitted to the Authority. If construction is started before obtaining the NOC, the sanction shall be treated as cancelled.**
19. **Mechanical ventilation to be provided in the Basement as per I.S. Code**
20. **The Promoter shall follow the Apartment Act-2010 and its applicability to the project as per defined rules and amendments made in future. As per the Provision of U.P. Appartment Rules 2011.**
21. **The sublessee shall abide by conditions if any, proposed by the lead member while getting detailed Layout plans sanction.**

Leenu
23/6/15
LEENU SAHGAL
GM (Plng. & Arch)

Encl: Copy of sanctioned drawings ( )
Copy to: 1. G.M. (Engg.) for information and n.a.
2. Mgr. Builder for information and n.a.

कार्यालय संयुक्त निदेशक फा0स0 मुख्यालय लखनऊ।
पत्रांकःआर-71/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-14(जीएन)/271 दिनांकःअक्टूबर 20 ,2014
सेवा मे,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
गौतमबुद्धनगर।

विषयः **मैसर्स मैपल रियलकॉन प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0-जी0एच0-01, सेक्टर-टेकजोन-4, स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु मानचित्रो की अनुज्ञा हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।**

यूआईडीः 2014/4060/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/610/जेडी

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लाट पर आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए अग्निशमन प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रो का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा से कराया गया तथा उनकी आख्या दिनांकः 15-10-2014 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा अपनी आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी तथा उपनिदेशक, फायर सर्विस द्वारा आख्या का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या मय मानचित्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये जिनका परीक्षण सुसंगत मानको के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत हैः-

भवन की संरचनाः- प्लाट एरिया-15,000.00 वर्ग मी0 जिसमे प्रस्तावित टावरों का एरिया विवरण निम्नवत हैः-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या	भूतल कवर्ड एरिया वर्ग मी0 मे	टिपिकल कवर्ड एरिया वर्ग मी0	ऊँचाई
1	टावर-1	बी+एस+20 तल	510.384	450.13	66.100
2	टावर-2	बी+एस+20 तल	510.384	450.13	66.100
3	टावर-3	बी+एस+26 तल	480.452	412.537	85.00
4	टावर-4	बी+एस+23 तल	362.76	314.683	75.55
5	टावर-5	बी+एस+26 तल	480.452	412.537	85.00

भवन का अधिभोग विवरणः-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवसीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थाः-

1- पहुच मार्गः- भूखण्ड के सामने मानचित्रं मे रोड की चौडाई 24 मी0 मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड की चौडाई 24 मी0 है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौडाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेकः- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत हैः-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।
बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।
सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।
डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नही होगा तथा टावरो के चारो ओर 09 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्गः- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है, जिनकी चौडाई 1.5 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फलोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरियाः- भवन मे रिफयूज एरिया हेतु प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

अग्निशमन व्यवस्थाः-

1-भूमिगतः-प्रश्नगत भवन मे 2,00,000 दो लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

2-पम्पसः-भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 01 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है, पम्प मल्टीस्टेज, मल्टीआउटलेट एवं जिसका हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार होना अनिवार्य होगा।

3-टैरिस टैंकः- सभी टावरो की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 पच्चीस हजार ली0, एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

4-होजरीलः- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावरो मे प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

5-वेटराईजरः- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो आई0एस0-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

6-यार्ड हाईड्रेन्टसः- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेन्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

20/10

फायर सर्विस मुख्यालय
उ०प्र०, लखनऊ

7–आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टमः– समस्त टावरों के सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
8–आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टमः– समस्त टावरों मे ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
9–मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टमः– प्रश्नगत भवन मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक कें अनुसार वॉच्छनीय हैं।

10–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):– प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0– 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
11–स्मोक एक्स्ट्रेंक्शनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे डक्टिड स्मोक एक्स्ट्रेक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
12–वेन्टीलेशनः– प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे वेन्टीलेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
13–एग्जिट साईनेजः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय
14–पी0ए0 सिस्टमः– सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
15–हैलीपेडः– प्रश्नगत भवन मे हैलीपैड का प्राविधान एन0बी0सी0 मानक के प्रस्तर सी0–10 के अनुपालन मे वॉच्छनीय है।
16–प्रशिक्षित स्टॉफः– प्रश्नगत भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष कर्मी एवं प्रशिक्षित फायर आफिसर एन0बी0सी0–2005 के प्रस्तर सी0–6 के अनुसार नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।
17–वैकल्पिक विद्युत व्यवस्थाः– प्रश्नगत भवन मे उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को अधिष्ठापित कराये जाने के उपरान्त एवं फायरमैन लिफ्ट तथा भवन को बिल्कुल अलग से वैकल्पिक विद्युत व्यवस्था मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।

उपरोक्त के अतिरिक्त निर्माण कार्य के उपरान्त अग्निशमन व्यवस्थाओं को वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति के श्रोत से संयोजित किया जाना एवं इनके संचालन हेतु प्रशिक्षित स्टॉफ रखा जाना अनिवार्य होगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षा कराई जानी मानको के अनुसार वॉच्छनीय होगी यदि किसी प्रकार का निर्माण कार्य कराया जाता है तो उसके लिए अग्निशमन विभाग अलग से स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स मैपल रियलकॉन प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–01, सेक्टर–टेकजोन–4, स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
संलग्नकः अनुमोदित मानचित्र अदद।

(पी0के0राव)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ0प्र0 लखनऊ।
फायर सर्विस मुख्यालय
उ0प्र0, लखनऊ

प्रतिलिपिः 1–उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3–अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4–मैसर्स मैपल रियलकॉन प्रा0 लि0, द्वारा प्लाट न0–जी0एच0–01, सेक्टर–टेकजोन–4, स्पोर्ट सिटी ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।